

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(आय-व्यय अनुभाग)  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या जी-513/आई0बी0/108वी0-22ए/अनु0-94/पूजीलेखा

लखनऊ दिनांक 24, सितंबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-190/2018/2008/18-27-सि0-4-11(उल्लेख)परि0/18, दिनांक-07-09-2018 द्वारा "फर्रुखाबाद शाखा नहर के कि0मी0 76.800 पर वी0आर0वी0 के निर्माण की परियोजना" की प्रशासकीय स्वीकृति रु0 40.50 लाख की प्रदान करते हुए, राज्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु एक मुश्त प्राविधानित धनराशि में से रु0 39.45 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुख्य अभियन्ता (राम गंगा) कानपुर को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है- (आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिति धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1014-सम्बद्ध कार्य 24-वृहत्त निर्माण कार्य	(राम गंगा) कानपुर।	39.45

रुपया उनतालीस लाख पैंतालीस हजार मात्र

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-1 से 11 तक दिये नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

कुणाल कुलश्रेष्ठ  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-513 (1)/आई0बी0/तद्वदिनांक:-24/09/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आग्रहों का कार्यवाही हेतु भेजित है -

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (मध्य) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(सूचना प्रणाली संगठन) सि0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, कानपुर को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- कट फाईल।

(हिमन्त कुमार गुप्ता)  
20/9/18

मुख्य अभियन्ता (बजट)  
उक्ते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।